



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012022-232716
CG-DL-E-18012022-232716

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]
No. 25]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2022/पौष 28, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022/PAUSHA 28, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2022

सा.का.नि. 25(अ).—केंद्रीय सरकार वित्त विधेयक (संख्या 2), अधिनियम 2004, (2004 का 23) की धारा 114 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति लेनदेन कर नियम, 2004 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति लेनदेन कर (पहला संशोधन), नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. प्रतिभूति लेनदेन कर नियम, 2004 (जिसे इसमें इसके बाद मूल नियम कहा जाएगा) में नियम 5 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"5क. बीमा कंपनी के मामले में प्रतिभूति लेनदेन कर के संग्रहण और भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति.- बीमा कंपनी के मामले में, अधिनियम की धारा 100 की उपधारा (2) (3) और (4) के अनुसार प्रतिभूति लेनदेन कर के संग्रह और भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, इस संबंध में ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अधिकृत (कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (54) और (94) में यथा परिभाषित, प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक होंगे।

3. मूल नियमों में, नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“6. प्रतिभूति लेनदेन कर का भुगतान.- प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, या प्रत्येक म्यूचुअल फंड के न्यासी या म्यूचुअल फंड के मामलों का प्रबंधन करने वाला ऐसा अन्य व्यक्ति जो इस संबंध में न्यासी द्वारा विधिवत अधिकृत हो, या प्रबंध निदेशक या एक पूर्णकालिक निदेशक, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (54) और (94) में परिभाषित किया गया है, जो एक बीमा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत प्राधिकृत है, अधिनियम की धारा 100 के अधीन जिसे एकत्र और प्रतिभूति लेनदेन कर का भुगतान करना आवश्यक है करें, इस तरह के कर की राशि को केंद्रीय सरकार के प्रत्यय को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी अधिकृत बैंक की किसी भी शाखा में भेजकर भुगतान करेगा।”

4. मूल नियम के नियम 7 में,-

(i) उप-नियम (1) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“(ग) बीमा कंपनी के मामले में, प्ररूप सं. 2क में और उसमें बताए गए तरीके से सत्यापित होगा।”;

(ii) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप सं. 1, प्ररूप सं. 2 और प्ररूप सं. 2क में विवरणी इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर अथवा इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए “इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड” का अर्थ है, आय की विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के प्रयोजन से उत्पन्न कोड, जो कि आयकर के प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा निर्दिष्ट डाटा संरचना और मानकों के अनुसार है।

(2क) प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) आंकड़ों के सुरक्षित एकत्रित और स्थानांतरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं, प्रारूप विधानों और मानकों को निर्दिष्ट करेंगे और विकसित करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे और प्ररूप सं. 1, प्ररूप सं. 2 और प्ररूप सं. 2क के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के संबंध में उपयुक्त सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को लागू करना।”;

(iii) उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3क) एक बीमा कंपनी के मामले में, उप-नियम (1) में संदर्भित विवरणी प्रबंध निदेशक या एक पूर्णकालिक निदेशक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि इस संबंध में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा सम्यक् प्राधिकृत, कंपनी अधिनियम, 2013(2013 का 18) की धारा 2 के खंड (54) और (94) में परिभाषित किया गया है।”

5. मूल नियमों में, नियम 8 में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (54) और (94) में यथा परिभाषित प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक द्वारा सम्यक् प्राधिकृत बीमा कंपनी के मामले में इस संबंध में ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल।”

6. मूल नियमों के परिशिष्ट में प्ररूप संख्या 2 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप सं. 2क

[प्रतिभूति लेनदेन कर नियम, 2004 का नियम 7 देखें]

बीमा कंपनी के लिए कर योग्य प्रतिभूतियों के लेनदेन की विवरणी

क्रम सं.		
1.	बीमा कंपनी का नाम:	
2.	कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकरण/निगमन की तारीख	ति थि मा ह व र्ष
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन)	
4.	वित्तीय वर्ष जिसके लिए संव्यवहार की सूचना दी जा रही है	

5.	क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी																																							
6.	इक्विटी उन्मुख निधि की संख्या		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																					
7.	कर योग्य प्रतिभूतियों के संव्यवहार का मूल्य		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																					
8.	कुल संग्रहणीय प्रतिभूति संव्यवहार कर		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																					
9.	एकत्रित कुल प्रतिभूति संव्यवहार कर		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																					
10.	भुगतान किया गया कुल प्रतिभूति संव्यवहार कर		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																					
11.	देय/वापसी योग्य प्रतिभूति संव्यवहार कर		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																					
12.	धारा 104 के अधीन देय व्याज		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																					
13.	भुगतान किया गया व्याज		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																					
14.	फरवरी, 2021 के पहले दिन या उसके पश्चात् बीमा कंपनी द्वारा जारी यूनिट बीमा पॉलिसियों के संबंध में उन्मुख निधि उन्मुख निधि का विवरण																																							
	<table border="1"> <tr> <th>क्रम सं.</th> <th>इक्विटी उन्मुख निधि का नाम</th> <th>निधि का विशिष्ट मुवक्किल कोड</th> <th>उस व्यक्ति का फोलियो नंबर जिससे इकाईयों को खरीदा है</th> <th>उस व्यक्ति का नाम जिससे इकाईयों को खरीदा है।</th> <th>उस व्यक्ति का पैन जिससे इकाईयों को खरीदा है।</th> <th>कर योग्य प्रतिभूतियों संव्यवहार का मूल्य</th> <th>प्रतिभूतियों के संव्यवहार पर संग्रहणीय कर (रुपये में)</th> <th>प्रतिभूति के संव्यवहार संग्रहण कर (रुपये में)</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> </table>										क्रम सं.	इक्विटी उन्मुख निधि का नाम	निधि का विशिष्ट मुवक्किल कोड	उस व्यक्ति का फोलियो नंबर जिससे इकाईयों को खरीदा है	उस व्यक्ति का नाम जिससे इकाईयों को खरीदा है।	उस व्यक्ति का पैन जिससे इकाईयों को खरीदा है।	कर योग्य प्रतिभूतियों संव्यवहार का मूल्य	प्रतिभूतियों के संव्यवहार पर संग्रहणीय कर (रुपये में)	प्रतिभूति के संव्यवहार संग्रहण कर (रुपये में)	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
क्रम सं.	इक्विटी उन्मुख निधि का नाम	निधि का विशिष्ट मुवक्किल कोड	उस व्यक्ति का फोलियो नंबर जिससे इकाईयों को खरीदा है	उस व्यक्ति का नाम जिससे इकाईयों को खरीदा है।	उस व्यक्ति का पैन जिससे इकाईयों को खरीदा है।	कर योग्य प्रतिभूतियों संव्यवहार का मूल्य	प्रतिभूतियों के संव्यवहार पर संग्रहणीय कर (रुपये में)	प्रतिभूति के संव्यवहार संग्रहण कर (रुपये में)																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																
15.	स्तंभ 4 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष के लिए कर योग्य प्रतिभूति संव्यवहार कर का माहवार विवरण																																							
	<table border="1"> <tr> <th>क्रम सं.</th> <th>माह</th> <th>इक्विटी उन्मुख निधि का नाम</th> <th>निधि का विशिष्ट मुवक्किल कोड</th> <th>कर योग्य प्रतिभूतियों के संव्यवहार (रु. में)</th> <th>प्रतिभूतियों के संग्रहणीय संव्यवहार (रु. में)</th> <th>प्रतिभूतियों के एकत्र संव्यवहार संग्रहण कर (रु. में)</th> <th>प्रतिभूतियों के कर भुगतान संव्यवहार (रु. में)</th> <th>धारा 104 के अधीन देय व्याज</th> <th>धारा 104 के अधीन भुगतान किया गया व्याज</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>कुल</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										क्रम सं.	माह	इक्विटी उन्मुख निधि का नाम	निधि का विशिष्ट मुवक्किल कोड	कर योग्य प्रतिभूतियों के संव्यवहार (रु. में)	प्रतिभूतियों के संग्रहणीय संव्यवहार (रु. में)	प्रतिभूतियों के एकत्र संव्यवहार संग्रहण कर (रु. में)	प्रतिभूतियों के कर भुगतान संव्यवहार (रु. में)	धारा 104 के अधीन देय व्याज	धारा 104 के अधीन भुगतान किया गया व्याज	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		कुल								
क्रम सं.	माह	इक्विटी उन्मुख निधि का नाम	निधि का विशिष्ट मुवक्किल कोड	कर योग्य प्रतिभूतियों के संव्यवहार (रु. में)	प्रतिभूतियों के संग्रहणीय संव्यवहार (रु. में)	प्रतिभूतियों के एकत्र संव्यवहार संग्रहण कर (रु. में)	प्रतिभूतियों के कर भुगतान संव्यवहार (रु. में)	धारा 104 के अधीन देय व्याज	धारा 104 के अधीन भुगतान किया गया व्याज																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																															
	कुल																																							
16.	प्रतिभूति संव्यवहार कर/भुगतान किए गए व्याज का विवरण																																							
	<table border="1"> <tr> <th>कर/व्याज (रुपये में)</th> <th>बैंक शाखा का नाम</th> <th>बैंक शाखा का बीएसआर कोड</th> <th>जमा करने की तारीख</th> <th>चालान राशि की क्रम संख्या</th> <th>राशि (रुपये में)</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> </tr> </table>										कर/व्याज (रुपये में)	बैंक शाखा का नाम	बैंक शाखा का बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख	चालान राशि की क्रम संख्या	राशि (रुपये में)	11	12	13	14	15	16																		
कर/व्याज (रुपये में)	बैंक शाखा का नाम	बैंक शाखा का बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख	चालान राशि की क्रम संख्या	राशि (रुपये में)																																			
11	12	13	14	15	16																																			

सत्यापन

मैं, (पूरा नाम स्पष्ट शब्दों में), का पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार इस विवरणी में दी गई सूचना सही और पूर्ण है और कर योग्य प्रतिभूतियों के संव्यवहार का कुल मूल्य और उसमें दिखाए गए अन्य विवरण सही मायने में बताए गए हैं और वित्त विधेयक, 2004(संख्या 2) के अध्याय 7 और प्रतिभूति संव्यवहार कर के उपबंधों के नियम, 2004 अनुसार हैं।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह विवरणी के रूप में अपनी हैसियत से कर रहा/रही हूँ और मैं इस विवरणी को बनाने और इसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ।

तारीख:

स्थान

(नाम और हस्ताक्षर)

टिप्पण:-

1. इस प्ररूप का उपयोग केवल एक बीमा कंपनी द्वारा किया जाना चाहिए
2. पंक्ति 14 में अपेक्षित विवरण बीमा कंपनी द्वारा स्थापित प्रत्येक इक्विटी उन्मुख निधि के लिए अलग से दिया जाए और प्रत्येक निधि का उपयोग भी दिया जाए।
3. पंक्ति संख्या 15 में अपेक्षित विवरण बीमा कंपनी द्वारा स्थापित प्रत्येक इक्विटी उन्मुख निधि के लिए प्रत्येक माह के लिए अलग से दिया जाए और प्रत्येक माह के लिए उपयोग भी दिया जाए।

[अधिसूचना संख्या 9/2022/फा. सं. 370142/61/2021-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1059(अ), तारीख 28 सितम्बर, 2004 में प्रकाशित किया गया था।